न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 115/2015 अपील

1. बुन्दुखां पुत्र कजोड खां जाति मुसलमान निवासी जगनेर तुर्कान हाल तहसील रामगढ पचवारा जिला दौसा

अपीलान्ट

बनाम

1. जमाल खां पि. भौरे खां (फौत)
   - 1/1 बरकत बैगम पत्नि जमाल खां
   - 1/2 फकीर मोहम्मद खां पि. जमाल खां
   - 1/3 सिकन्दर खां पि. जमाल खां
   - 1/4 तोफीक खां पि. जमाल खां

   } जाति मुसलमान निवासी जगनेर तुर्कान हाल तहसील रामगढ पचवारा जिला दौसा

2. नजीर खां पि. भौरे खां (फौत)
   - 2/1 रसीद खां
   - 2/2 मेराज खां
   - 2/3 सियाज खां
   - 2/4 रहीस खां

   } पुत्रान नजीर खां

   - 2/5 झब्बो बानो
   - 2/6 अशिया बानो
   - 2/7 सकीला बानो
   - 2/8 न्यामत बानो
   - 2/9 सलमा बानो

   } पुत्रीयन नजीर खां

   } समस्त जाति मुसलमान निवासी जगनेर तुर्कान हाल तहसील रामगढ पचवारा जिला दौसा

3. बशीर खां पि. भौरे खां जाति मुसलमान निवासी जगनेर तुर्कान हाल तहसील रामगढ पचवारा जिला दौसा
4. राज. सरकार जरिये तहसीलदार रामगढ पचवारा जिला दौसा

रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरूद्व आदेश तहसीलदार रामगढ पचवारा शुद्धि पत्र सं. 01 दिनांक 19.10.2015

उपस्थिति : श्री देवी सिंह चौहान अधिवक्ता अपीलान्ट उप0।
: श्री ब्रजमोहन गौड अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट्स सं. 01 लगा 03 उप0।

अति0 जिला कलक्टर
दौसा

प्रकरण संख्या : 115/2015 अपील

:– निर्णय :–

दिनांकः 27.02.2018

संक्षिप्त में अपील के तथ्य इस प्रकार से है कि तहसीलदार रामगढ पचवारा द्वारा पारित आदेश शुद्धि पत्र सं. 01 दिनांक 19.10.2015 को निरस्त करने हेतु अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि तहसीलदार रामगढ पचवारा द्वारा ख.न. 127 व 129 ग्राम जगनेर तुर्कान तहसील रामगढ पचवारा में अपीलान्ट के दर्ज रिकार्ड हिस्से को लोपित कर अपीलान्ट का खातेदारी अधिकार समाप्त कर दिया। जिसका अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार रामगढ पचवारा को किसी प्रकार का अधिकार प्राप्त नही था। इस लिए तहसीलदार रामगढ पचवारा द्वारा पारित आदेश दिनांक 19.10.2015 को निरस्त करने हेतु यह अपील पेश की गई है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर तलबी रेस्पोडेन्ट्स की गई व अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब कर बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई।

बहस के दौरान अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपील के तथ्य दोहराते हुए निवेदन किया कि मात्र शुद्धि पत्र के द्वारा मेरे खातेदार के अधिकार समाप्त कर दिये जो गैर कानूनी है। खातेदारी अधिकार के सम्बन्ध में केवल सक्षम न्यायालय में दावे से ही अनुतोष प्राप्त किया जा सकता है। शुद्धि बाबत किसी ने भी आवेदन नही किया है। प्रकरण में रेस्पोडेन्ट्स द्वारा ही प्रार्थना पत्र दिनांक 02.08.2016 ही जाहिर किया गया है कि जमाल खां की मृत्यु 2002 में हो चुकी है। प्रकरण में जमाल खां की मृत्यु 2002 में ही हो चुकी थी, तो मृतक को खातेदारी अधिकार किस प्रकार प्रदान किये गये। तहसीलदार द्वारा अपीलान्ट को सुना ही नही गया। नजीर आर बी जे (23) 2016 पेज 712 पेश की गई। साथ ही निवेदन किया गया की न्याय का सुस्थापित सिद्धान्त है कि दोनो पक्षो को सुनकर साक्ष्य लेकर आदेश पारित करना चाहिए जबकि इस प्रकरण में अप्रार्थी को बिना सुने ही तहसीलदार द्वारा आदेश पारित कर दिया गया है। अतः अपील स्वीकार कर प्रकरण तहसीलदार रामगढ पचवारा को रिमाण्ड किया जावे।

जवाब बहस के दौरान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट्स 01 लगा 03 द्वारा निवेदन किया गया कि कजोड खॉ पुत्र घासी खॉ कौम मुसलमान साकिन जगनेर तुर्कान द्वारा बेचान करने पर जरिये विक्रय पत्र दिनांक 06.02.1985 द्वारा ग्राम जगनेर तुर्कान की जमाबन्दी

अति० जिला कलक्टर
दौसा

संवत 2068–71 में ख.न. 127 रकबा 11 बीघा 05 बिस्वा एवं ख.न. 129 रकबा 05 बीघा 06 बिस्वा कुल किता 16 बीघा 10 बिस्वा भूमि में से बशीरखॉ, जमालखॉ, नजीरखॉ पुत्रान भोरेखॉ एवं बुन्दुखॉ पुत्र कजोडखॉ के नाम हिस्सा 3/8 दर्ज किया गया। इसके पश्चात् बुन्दु खॉ पुत्र कजोड खॉ ने ख.न. 127, 129 में अपने हिस्से की सम्पूर्ण खातेदारी भूमि विक्रय पत्र दिनांक 18.11.1997 के द्वारा चुन्नीराम, श्योराम पि0 किशना कौम मीना को विक्रय कर दिया गया था। जो कि उसे कजोड खॉ से प्राप्त हुई थी। किन्तु जमाबन्दी संवत 2056–59 में लेखन में बुन्दुखां पुत्र कजोड खॉ का नाम लिपिकीय भूल–वश दर्ज हो गया था। जमाबन्दी में हुई लिपिकीय त्रुटि को सुधारने का अधिकार तहसीलदार को है। इसमें अपीलान्ट के अधिकार किसी भी प्रकार से प्रभावित नही होते है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जावे।

हमने अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली तथा अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त मूल अभिलेख का अवलोकन किया। जिससे यह तथ्य स्पष्ट है कि तहसीलदार रामगढ पचवारा द्वारा जमाबन्दी संवत 2056–59 में हुई लिपिकीय त्रुटि को प्रश्नगत शुद्धि पत्र सं. 01 दिनांक 19.10.2015 द्वारा शुद्ध किया गया है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार किया जाना हम उचित नही समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर शुद्धि पत्र सं. 01 दिनांक 19.10.2015 आदेश द्वारा तहसीलदार रामगढ पचवारा जिला दौसा के विरूद्ध अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर प्रविष्ठ लेख भण्डार हो।

(राजवीर सिंह चौधरी)
अति0 जिला कलक्टर
अति0 जिला कलक्टर, दौसा
दौसा

निर्णय आज दिनांक 27.02.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय की मुद्रा से खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

(राजवीर सिंह चौधरी)
अति0 जिला कलक्टर
अति0 जिला कलक्टर, दौसा
दौसा